



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240082
CG-DL-E-07112022-240082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4944]
No. 4944]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5163(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31, उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में, संख्या का.आ. 29(अ) के जरिए प्रकाशित इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और आरंभ- (1) इस स्कीम का नाम इलेक्टोरल बांड (संशोधन) स्कीम, 2022 होगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
- इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 में, पैरा 8 में, उप-पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा अर्थात्:-

"(3) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की विधान सभाओं और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के आम चुनावों के वर्ष में पंद्रह दिन की अतिरिक्त अवधि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा"

[फा.सं. 12(5)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2021]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल स्कीम दिनांक 2 जनवरी, 2018 की संख्या का.आ. 29(अ) के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5163(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Electoral Bond Scheme, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.29 (E), dated the 2nd January 2018, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Electoral Bond (Amendment) Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electoral Bond Scheme, 2018, in paragraph 8, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) An additional period of fifteen days shall be specified by the Central Government in the year of general elections to the Legislative Assembly of States and Union territories with Legislature.”.

[F.No. 12(5)-B(W&M)/2021]

By Order of the President of India

ASHISH VACHHANI, Jt. Secy.

Note: The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 29(E), dated the 2nd January, 2018.